

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2011/

भोपाल दिनांक

आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक 3/प0क0/सेल-8/701 दिनांक 07.6.2011 के स0क0 03 द्वारा श्री फूलसिंह (हुकुमसिंह) राजे ए0एस0ओ0 जिला शिवपुरी का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुर के अधीन प्रशासकीय आधार पर किया गया स्थानान्तर आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित ।

(जे0एन0 कंसोटिया)

आयुक्त स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2011/ 1153

भोपाल दिनांक 27/8/11

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल म.प्र।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. अपर संचालक स्वास्थ्य सेवायें एम0आई0एस0 स्थानीय कार्यालय।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर म.प्र।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी/श्योपुर म0प्र0।
6. जिला कोषालय अधिकारी शिवपुरी/श्योपुर मध्यप्रदेश।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री फूलसिंह (हुकुमसिंह) राजे ए0एस0ओ0 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी की और पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।

आयुक्त स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश

27/8/11

MIS
A
3/8

अंक क्र. 3020 अपर संघ (स्वा.)
दिनांक 30.08.11

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य प्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/ 914-315,
आदेश

भोपाल दिनांक 20/9/11

श्री महेश नारायण अवरथी, नेत्र सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुलेथ जिला ग्वालियर का संचालनालय आदेश क्र. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-1/2011/448 एफ दिनांक 07.06.2011 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के अधीन स्थानांतरण किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में याचिका क्र. 3928/2011 (एस) दायर की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर ने दिनांक 28.06.2011 को आदेश पारित कर स्थानांतरण आदेश पर स्थगन दिया जाकर स्वास्थ्य आयुक्त महोदय को याचिका कर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करते हुये प्रकरण में स्पीकिंग आदेश जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

श्री महेश नारायण अवरथी, नेत्र सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुलेथ जिला ग्वालियर का वर्ष 2009 में संचालनालय के आदेश दिनांक 12.10.2009 द्वारा रायसेन जिले से ग्वालियर जिले में स्थानांतरण किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में वे दिनांक 27.03.2010 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर के अधीन कार्य पर उपस्थित हुये। पुनः संचालनालय आदेश क्र. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-1/2011/448 एफ दिनांक 07.06.2011 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के अधीन स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर किया गया है। श्री महेश नारायण अवरथी, नेत्र सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुलेथ जिला ग्वालियर ने अपने पिता के 75 वर्ष की वृद्धावस्था एवं पैरालाईसिस से पीड़ित होने तथा ग्वालियर जिले में इलाज चलने का लेख किया है। साथ ही उनकी बच्ची के कक्षा 10 में अध्ययनरत रहने का उल्लेख अभ्यावेदन में प्रस्तुत करते हुये स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

श्री महेश नारायण अवरथी, नेत्र सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुलेथ जिला ग्वालियर का स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 11869-71 दि. 19.05.11 के द्वारा जिले में अतिशेष में पदस्थ 39 कर्मचारियों की सूची में अंकित होने के फलस्वरूप एवं इनका वेतन समकक्ष/उच्च पदों के विरुद्ध वेतन आहरित किये जाने पर महालेखकार कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में आक्षेप के कारण संचालनालय से प्रस्तावित पदस्थापना अनुसार माननीय राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदन पश्चात् प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के अधीन किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर द्वारा दिनांक 28.07.2011 की स्थिति में उनके अधीन नेत्र सहायक का पद रिक्त नहीं है।

अतः माननीय न्यायालय निर्णय दिनांक 28.06.2011 के परिपालन में श्री महेश नारायण अवरथी, नेत्र सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुलेथ जिला ग्वालियर का अभ्यावेदन विचारोपरंत अभ्याय किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)

स्वास्थ्य आयुक्त

मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/ 915-315, भोपाल दिनांक 20/9/11
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग म.प्र।
4. उपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर/राजगढ़ म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री महेश नारायण अवरथी, नेत्र सहायक, जिला ग्वालियर की और सूचनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त

मध्य प्रदेश

15/9/11

आवक क्र. 3527/1/P/अवर
दिनांक 24/09/11
संचा. (प्रशा.)

Ad on leave
M/S

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

कमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2011 /

भोपाल दिनांक

आदेश

कु. नीरज धाकड, रेडियोग्राफर, सिविल अस्पताल सुजालपुर जिला शाजापुर का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना के अधीन किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 15-9-11

पृ. कमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2011 / 889-डाई
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन / ग्वालियर संभाग म.प्र।
4. अपर संचालक (प्रशासन / एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर / मुरैना म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी शाजापुर / मुरैना मध्यप्रदेश।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. कु. नीरज धाकड, रेडियोग्राफर, सिविल अस्पताल सुजालपुर जिला शाजापुर की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

3387
आयुक्त क्र. 3387/अपर संचा. (प्रशा.)
दिनांक 19/09/11

M/S
R
K/S

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्रीमती सविता ठाकुर, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय छतरपुर का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर के अधीन किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 23/9/2011

पृ. कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/ 932-313

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग म.प्र।
4. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर/सागर म.प्र।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय छतरपुर मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी छतरपुर /सागर मध्यप्रदेश।
8. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
9. श्रीमती सविता ठाकुर, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय छतरपुर की और तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

M/S
23/9

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

कमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2011 /

भोपाल दिनांक

आदेश

संचालनालय आदेश क. 2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-6/2011/458 दिनांक 07.06.2011 द्वारा श्री मनोज तिवारी, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा का प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल के अधीन किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 26/9/2011

नृ. कमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2011 / 941 - काई
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग म.प्र।
4. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा/शहडोल म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी रीवा/शहडोल।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री मनोज तिवारी, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा की और तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

आवक क्र. 30/09/11
दिनांक 30/09/11

MIS
22/9

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

भोपाल दिनांक

आदेश

डॉ. श्रीमती आभा सहाय सहा.ग्रेड-2 संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर को उनके द्वारा संविदा आधार पर आई.डी.एस.पी. प्रोजेक्ट जिला शिवपुरी में एपिडिमियोलॉजिस्ट के पद पर 16.10.2010 से आगामी आदेश (पद की निरन्तरता) तक मूल पद पर धारणाधिकार बरकरार रखते हुये कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(जे०एन०कंसोटिया)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2/अवि./सेल-टी.पी./एच- 1/2011/970-2 भोपाल दिनांक 1/10/2011
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।
2. निज सहायक, संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/प्रशिक्षण, स्थानीय कार्यालय, म.प्र. भोपाल ।
3. निज सहायक, अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय, म.प्र. भोपाल ।
4. एडीशनल डायरेक्टर एवं जेबानल प्रोजेक्ट ऑफिसर (आई.डी.एस.पी.) एन.आई.सी.डी.दिल्ली ।
5. मिशन डायरेक्टर आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम. मध्यप्रदेश भोपाल ।
6. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
7. संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर म.प्र. ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी ।
9. डॉ. श्रीमती आभा सहाय सहा.ग्रेड-2 संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर एवं वर्तमान (एपिडिमियोलॉजिस्ट शिवपुरी) की और तत्काल पालनार्थ ।
10. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

आवक: 3723
दिनांक: 3.10.11

M/S
11/10

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

कमांक /2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

भोपाल दिनांक

संशोधित आदेश

संचालनालय आदेश क. 2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-22/2011/490 दिनांक 07.06.2011 के सरल कमांक 12 में अंकित श्री कमलेश मेश्राम, सहायक ग्रेड-3, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दतिया का स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट के अधीन स्थानांतरण किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री कमलेश मेश्राम, सहायक ग्रेड-3, की पदस्थापना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के अधीन की जाती हैं।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ. मसूद अख्तर)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक

11/01/2011

पृ. कमांक /2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

972-3

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर / जबलपुर संभाग म.प्र।
4. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया/बालाघाट/जबलपुर म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी दतिया/बालाघाट/जबलपुर।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री कमलेश मेश्राम, सहायक ग्रेड-3, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दतिया की और तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

आयुक्त क. 312/अवि./अपर संचालक (प्रशा.)
दिनांक 31.01.11

MIS
11/1/11

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री महेन्द्र सिंह, सहायक ग्रेड-2 जिला सीधी का संचालनालय आदेश क. कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-19/2011/485 एफ दिनांक 07.06.2011 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली के अधीन किया गया था।

जिसके विरुद्ध श्री महेन्द्र सिंह, सहायक ग्रेड-2 जिला सीधी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क. 10464/2011 (एस) दायर की गई।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने दिनांक 08.07.2011 को आदेश पारित कर संचालनालय के आदेश क. कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-19/2011/485 एफ दिनांक 07.06.2011 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह, सहायक ग्रेड-2 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली किये गये स्थानांतरण पर स्थगन दिया जाकर उल्लेखित किया कि यदि श्री महेन्द्र सिंह, सहायक ग्रेड-2 के स्थान पर स्थानांतरित किये गये कर्मचारी श्री जगतप्रताप सिंह, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली द्वारा स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया हो तो उन्हें पुनः उनके पूर्व स्थान जिला सिंगरौली स्थानांतरित किया जावे।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2011 के परिपालन में श्री महेन्द्र सिंह, सहायक ग्रेड-2 जिला सीधी का संचालनालय आदेश क. कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-19/2011/485 एफ दिनांक 07.06.2011 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली के अधीन तथा श्री जगतप्रताप सिंह, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली का कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी के अधीन किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

पृ. कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/939-3115 भोपाल दिनांक 26/9/2011
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग म.प्र।
4. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी/सिंगरौली म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी सीधी/सिंगरौली मध्यप्रदेश।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. संबंधित कर्मचारी श्री महेन्द्र सिंह, सहायक ग्रेड-2 / श्री जगतप्रताप सिंह, सहायक ग्रेड-2, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी/सिंगरौली की और तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

आवक क्र. 3629/VI
दिनांक 20/09/11

MIS
27

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री डी.एस. कुशवाह, रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय ग्वालियर का संचालनालय आदेश क्र. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-1/2011/448 एफ दिनांक 07.06.2011 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना के अधीन प्रशासकीय आधार पर किया गया था।

जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में याचिका क्र. 3998/2011 (एस) दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर ने दिनांक 30.06.2011 को आदेश पारित कर स्थानांतरण आदेश पर स्थगन दिया जाकर स्वास्थ्य आयुक्त को याचिका कर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करते हुये प्रकरण में स्पीकिंग आदेश जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।

श्री डी.एस. कुशवाह, रेडियोग्राफर, का स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 11869-71 दि. 19.05.11 के द्वारा जिले में अतिशेष में पदस्थ 39 कर्मचारियों की सूची में अंकित होने के फलस्वरूप एवं इनका वेतन समकक्ष/उच्च पदों के विरुद्ध वेतन आहरित किये जाने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में आक्षेप के कारण संचालनालय से प्रस्तावित पदस्थापना अनुसार माननीय राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदन पश्चात् प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना के अधीन किया गया है।

स्थानांतरण नीति की कंडिका 9.12 में उल्लेखित है कि "जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाए। यदि प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार स्थानांतरण किये जाने पर विचार किया जा सकता है।"

स्थानांतरण नीति की कंडिका 9.24 में उल्लेखित है कि - "किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जावेगी।"

माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर के निर्णय दिनांक 30.06.2011 के परिपालन में श्री डी.एस. कुशवाह, रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय ग्वालियर का अभ्यावेदन विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 29/9/2011

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/ 256-3115

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग म.प्र।
4. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर/मुरैना म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर/मुरैना मध्यप्रदेश।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री डी.एस. कुशवाह, रेडियोग्राफर जिला चिकित्सालय ग्वालियर की और सूचनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

आवक क्र. 372 AP/अपर संचा. (प्रशा.)
दिनांक 31.01.11

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री पी.के. बावने, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिण्डोरी का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा के अधीन किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)

स्वास्थ्य आयुक्त

मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 13/9/2011

पृ. कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/ 874-315

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभाषित संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग म.प्र।
4. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला डिण्डोरी/छिन्दवाडा म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी डिण्डोरी/छिन्दवाडा मध्यप्रदेश।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री पी.के. बावने, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिण्डोरी की और तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

13/9/11

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

भोपाल दिनांक

आदेश

संचालनालय आदेश क्र. 2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-25/2011/496 दिनांक 07.06.2011 द्वारा श्री राकेश भाटी, संगणक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोण्डवा जिला अलीराजपुर का प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुरहारपुर के अधीन किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(जे.एन. कसोटिया)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/ 863-आई भोपाल दिनांक 8-9-11

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग म.प्र।
4. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बुरहानपुर/अलीराजपुर म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी बुरहानपुर/अलीराजपुर।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री राकेश भाटी, संगणक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोण्डवा जिला अलीराजपुर की और तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त 2/9/11
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्रीमती ऊषा किरण गुप्ता, लेखापाल, सिविल अस्पताल ग्वालियर की पदस्थापना तत्काल प्रभाव से प्रचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर में की जाती हैं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा-

अनुमोदित

(डॉ. ए.एन. मित्तल)

संचालक

चिकित्सा सेवायें

मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 14-09-11

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/ 876-3A2
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संभाषीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र।
2. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. प्रचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश।
6. जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर मध्यप्रदेश।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्रीमती ऊषा किरण गुप्ता, लेखापाल, सिविल अस्पताल ग्वालियर की और तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

[Handwritten Signature]

संचालक

14.9.2011

चिकित्सा सेवायें

मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री एस.बी. काकडे, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल
अधीक्षक जिला हरदा का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा के अधीन किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)

स्वास्थ्य आयुक्त

मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 07-09-11

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/ 847-डाई
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी,
भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर / भोपाल संभाग म.प्र।
4. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा/छिन्दवाडा म.प्र।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला हरदा।
7. जिला कोषालय अधिकारी हरदा/छिन्दवाडा मध्यप्रदेश।
8. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
9. श्री एस.बी. काकडे, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल
अधीक्षक जिला हरदा और तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त

मध्य प्रदेश

MIS
2/5

आवक क्र. 375/अवि./अपर संचालक (प्रशा.)
दिनांक 8/09/11